



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 187]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 18 मई 2015—वैशाख 28, शक 1937

लोक सेवा प्रबंधन विभाग  
मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 मई 2015

क्र. एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-5.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं (2)	पदाधिकारी का पदनाम (3)	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा (4)	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम (5)	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा (6)	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम (7)
5.5	कॉलोनाइजर लायर्सेंस.	(1) आयुक्त, नगरपालिका निगम के लिए, (2) कलेक्टर, नगरपालिका एवं नगर परिषद् के लिए.	30 कार्य दिवस.	संभाग आयुक्त	30 कार्य दिवस.	आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास.
5.6	1. कॉलोनी विकास अनुज्ञा (ले-आउट).	जिले में पदस्थ संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश.	60 कार्य दिवस.	1. अपर संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश (जहाँ संयुक्त संचालक, जिला अधिकार के रूप में पदस्थ हैं).	30 कार्य दिवस.	आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			2. संभागीय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश (जहाँ उप संचालक/सहायक संचालक जिला अधिकार के रूप में पदस्थ हैं).			
2. कॉलोनी विकास अनुज्ञा (आंतरिक विकास).	(1) कलेक्टर, नगरपालिका एवं नगर परिषद् के लिए. (2) आयुक्त, नगरपालिक निगम के लिए.	30 कार्य दिवस.	संभाग आयुक्त	30 कार्य दिवस.	आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास.	
5.7 भवन अनुज्ञा प्रमाण-पत्र.	(1) नगरपालिका/नगर परिषद् क्षेत्र का मुख्य नगरपालिका अधिकारी.  (2) नगरपालिक निगम क्षेत्र में आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (यदि प्राधिकृत किया गया हो).  (3) आयुक्त, नगरपालिक निगम	30 कार्य दिवस.	कलेक्टर आयुक्त, नगर निगम	30 कार्य दिवस.	आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास.	
5.8 फायर एन.ओ.सी. (1) आस्थाई	मुख्य अभियन्ता, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास.	60 कार्य दिवस.	आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास.	30 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग.	
(2) नवीनीकरण	मुख्य अभियन्ता, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास.	30 कार्य दिवस.	आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास.	30 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग.	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हरिरंजन राव, सचिव.